न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी श्री नारायणसिंह चारण आर0ए0एस

अपील सं0 54/2017 दायरदिनांक : 07.12.2017

1. मदनलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

– अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये क्षैत्रिय वन अधिकारी भादरा।

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.09.2017
निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी, अधिवक्ता, अपीलांट
सहायक वन संरक्षक, नोहर – रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांकः– 30.12.2019**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है :–

1. यह कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.09.2017 प्रकरण सं. 73/2013 बअनवानी स्टेट बनाम मदनलाल अज अदालत सहायक वन संरक्षक नोहर जिला हनुमानगढ विधि की अवेहलना एवं गैर कानुनी ढंग से पारित होने से अपास्तनीय है प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 25.09.2017 संलग्न अपील मिमो है।
2. यह कि मातहत अदालत ने साईड प्रभारी व नाका प्रभारी की रिर्पोट कि मुरब्बा न0 99,100,101,102 पर अवैध काश्त कि गई है अवैध काश्त का साईज 35 गुणा 165 मीटर बताया है दिनांक 20.07.2013 को रिर्पोट प्राप्त होने पर प्रकरणदर्ज किया जाना अभिकथित किया गया है। परन्तु मातहत अदालत नाका प्रभारी व साईड प्रभारी की रिपोर्ट के आधार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर तावान व बेदखली की कार्यवाही गैर कानुनी ढंग से की गई रिपोर्ट नाका प्रभारी से यह स्पष्ट नहीं है कि सीमा ज्ञान किस आधार पर कैसे किया गया तथा किस मरगज से सीमा ज्ञान करवाया गया तथा पटवारी हल्का व मौका नक्शा उपलब्ध करवाऐ बिना ही मातहत अदालत ने अधुरी व अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को परेशान करने के लिए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

3. यह कि मौका रिपोर्ट कानुनी तौर से निर्णय के लिए साक्ष्य के रूप में उपयोग नही कि जा सकती है मातहत अदालत ने अवैध काश्त के सम्बधत में किसी भी पक्षकार के ब्यान नही लिए तथा अडौसी पड़ौसी की साक्ष्य के बिना मातहत अदालत ने बिना किसी साक्ष्य के नाका प्रभारी की रिपोर्ट को आधार मानकर गैर कानूनी ढग से निर्णय पारित किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय पारित करते वक्त एक भी गवाहन की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं करवाया है, बिना साक्ष्य के कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है इसलिए अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व गैर कानूनी तथा बिना किसी क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
4. यह कि मातहत अदालत का निर्णय एक पक्षीय बिना किसी सुनवाई जवाब देही के पारित किया गया है तथा अपीलांट को साक्ष्य अलावा सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है इसी आधार पर अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है।
5. यह कि मातहत अदालत ने तहसीलदार राजस्व भादरा को तथा साक्ष्यच राजस्व अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया गया तथा पटवारी हल्का से पैमाईस नहीं करवाई गयी जबकि साईड प्रभारी राजस्व कार्यवाहीयों से पूर्णत अनभिज्ञ है तथा उन्हे पैमाईश करने का अधिकार भी हासिल नहीं है इसलिए अपीलाधीन निर्णय बिना किसी क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
6. यह कि अपीलांट द्वारा रौही मौजा सुरतपुरा तहसील भादरा अपने खेत के खाता संख्या 135 के मुरब्बा न0 99 की स्वयं की खातेदारी भूमि को काश्त किया है व अन्य खसरो अथवा मु0न0 100,101,102 में अपीलांट ने कभी कोई काश्त नहीं कि मातहत अदालत ने यह भी निर्णय में अभिकथित नहीं किया की भूमि कौनसे गांव की है तथा जरीब का नाप क्या था, किस मरगज से किसी प0न0 तथा जरीब डाली गई, क्यों माप में फर्क आया,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधुरी व असक्षम बाबू की रिपोर्ट को आधार मानकर मातहत अदालत ने गैर कानूनी व मनमाने तौर से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

7. यह है कि अपीलाधीन निर्णय 25.09.2017 प्रकरण स0 73/13 ब अनवानी स्टेट बनाम मदनलाल का ज्ञान नहीं था क्योंकि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय का कभी ज्ञान नहीं रहा तथा उक्त निर्णय पारित किये जाते वक्त मातहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा बिना किसी साक्ष्य/सुनवाई तथा सुचना के नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट व रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ रेस्पोडेन्ट सहायक वन संरक्षक, भादरा उपस्थित। बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट नें अपनी बहस में अपील मिमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सहायक वन संरक्षक नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 25.09.2017 से प्रार्थी को ग्राम सुरतपुरा में वन विभाग की भूमि मुरब्बा न0 99,100,101,102 के 35 गुणा 165 पर अवैध काश्त मानते हुए अतिक्रमण करने के आदेश दिए है तथा नाका प्रभारी की रिपोर्ट पर मुरब्बा न0 99,100,101,102 पर अवैध काश्त कि गई है इन 200 बीघा में कौनसे 35 गुणा 165 मीटर पर काश्त की है उसका हवाला नहीं दिया है। पटवारी को साथ लेकर नहीं गये तथा मौका, नाका प्रभारी ने कैसे पहचाना। मुरब्बा न0 99 में मेरी खातेदारी भूमि आती है मैनें केवल वहीं पर काश्त किया है, सारे मुरब्बे वन विभाग के नाम नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने मुझे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय किया है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रति प्रेषित करें कि मुझे साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए पटवारी हल्का को साथ लेकर विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें।

हमने बहस सुनी। पत्रावली व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तथा मौका रिपोर्ट जो सहायक वन अधिकारी ने प्रस्तुत की उसका भी अवलोकन किया अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलान्ट को नोटिस जारी दिनांक 17.12.2013 को हुआ उसके पश्चात पत्रावली में 3 वर्ष 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं कि गई। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलान्ट को कोई सूचना व जानकारी नहीं थी। पत्रावली की फर्द अहकाम दिनांक 24.09.2013 से दिनांक 01.12.2014 पर सहायक वन संरक्षक के कोई हस्ताक्षर नहीं है तथा पत्रावली की पेशी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 01.12.2014 के बाद दिनांक 21.07.2017 को आयी हैं, जिससे स्पष्ट प्रतित होता है की अपीलांट को विधिवत नहीं सुना गया है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.09.2017 अपास्त किया जाता है। पत्रावली इस निर्देश के साथ लौटाई जाती है कि पुन जांच कर सही पैमाईश की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अगर अपीलांट द्वारा वन भूमि पर नाजायज अतिकमण पाया जावें तों कार्यवाही कि जावें।

अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/12/19

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official